न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 42/24
जीसीएमएस : 2024/366

1. मोडूराम पुत्र श्री अन्नाराम जाति मेघवाल निवासी 74 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला गंगानगर वर्तमान निवासी चक 1ए.पी.डी. तहसील श्री विजयनगर। –:प्रार्थी

बनाम

1. अजयकुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति नायक निवासी 71 एनपी तह.रायसिंहनगर वर्तमान निवासी वार्ड न0 7 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. बिमला पत्नी सुल्तानराम जाति जाट निवासी चक 71 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. महावीरप्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी चक 71 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 20.11.2024

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री लखविन्द्र सिंह प्रार्थी अधि.।
2. श्री प्रवीण गौड अधि. अप्रार्थी सं. 2–3।
3. श्री किशोर सोलंकी अप्रार्थी सं. 1।

––निर्णय–– दिनांक:– 19.01.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की चक 74 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर में मुरब्बा नं0 9 प0 नं0 248/329 में किला नं0 1 ता 25 में 25.00 बीघा बारानी अनकमान्ड कृषि भूमि खातेदारी धारण करता है खेत के जोत के प्रयोजन के लिये अपने चक 74 एनपी के मुरब्बा नं0 9 में जोत करने के लिये रास्ता की आवश्यकता है। जिसे मु.नं. 11 अप्रार्थी सं0 1 अजयकुमार के किला नं0 5 व 6 में प्रत्येक में दो दो बिस्वा व अप्रार्थी सं0 2 बिमलादेवी पत्नी श्री सुलतानराम जाति जाट निवासी 71 एनपी के मु0 नं0 18 के किला 5 व 6/2 में प्रत्येक बीघा में दो दो बिस्वा व अप्रार्थी सं0 3 महावीरप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी 71 एनपी मुरब्बा नं0 18 चक 74 एनपी के किला नं0 5–15–16–25 में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अन्य खातेदार व खातेदारों की भूमि में से अप्रार्थीगण से रास्ता स्वीकृत करवाने का आशय रखता है। प्रार्थी मोडूराम चक 74 एन.पी. के मुरब्बा नं0 9 में जोत के प्रयोजन के लिए आने–जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते से प्रार्थी कृषि कार्य के लिये पहुँचता है वह सुगम व सुविधाजनक रास्ता नहीं है। परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये आवेदन किया है जिसके अलावा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को चक 74 एन.पी के मुरब्बा नं0 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

के किला न0 5–6–15–16 व 25 के चक 71 एनपी के मु0 नं0 11 के किला नं0 5 व 6 में प्रत्येक बीघा में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का आश्य रखता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की जोत कृषि भूमि चक 74 एनपी के मु0 नं0 9 प0नं0 258/329 के कुल 6.3250 है0 में आने–जाने के लिये सुगम रास्ता चक 71 एनपी के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 5–6 अप्रार्थी संख्या की कृषि जोत व चक 74 एनपी के मुरब्बा नं0 18 प0 नं0 258/330 के किला नं0 15–1–,25 व अप्रार्थी सं0 3 महावीरप्रसाद के मु0 नं0 18 के किला नं0 5–6 प्रत्येक मुरब्बाजात में दो–दो बिस्वा प्रत्येक किला में रास्ता स्वीकृत करने की कृपा करे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की तरफ से श्री प्रवीण गौड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा व इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है प्रार्थी मोडूराम का चक 74 एनपी के मुरब्बा नं0 9 में कृषि भूमि खातेदारी धारण करता है और अप्रार्थी सं0 2 बिमलादेवी चक 74 एनपी के मु0 नं0 18 में किला नं0 5 व 6/2 में प्रत्येक बीघा में दो दो बिस्वा व अप्रार्थी सं0 3 महावीरप्रसाद चक 74 एनपी में मुरब्बा सं0 18 के किला नं0 5–15–16–25 प्रत्येक में दो दो बिस्वा प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता को अप्रार्थी सं0 2 व 3 देने के लिये सहमत है प्रार्थी को चाहे गये रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है और यह रास्ता प्रार्थी के लिये सुविधाजनक होने के कारण उन्हे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता हम अप्रार्थीगण के उपरोक्त मुरब्बाजात के उपरोक्त किलाजात में रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे हमे किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। जबाव प्रार्थना पत्र का इकबाली जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वरा चाहे गये हम अप्रार्थीगण के रकबा में उपरोक्त मुरब्बाजात के किलाजात में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे तो हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री किशोर सोलंकी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी को चाहा गया रास्ता की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने रकबे के पास चक 32 पीएस पटवार हल्का सांवतसर में एक सरकारी रास्ता स्वीकृत है। उस रास्ते से प्रार्थी मोडूराम कुछ ही दुरी पर है इसलिए प्रार्थी द्वारा उधर रास्ता स्वीकृत करवाने में सक्षम है व उधर की ओर से प्रार्थी द्वारा रास्ता स्वीकृत कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह केवल मुझ अप्रार्थी को परेशान करने [illegible] किया गया है जबकि मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त रकबा जो कि मेरे [illegible] में है खरीद किया हुआ है ना कि आवंटनशुदा है इसलिए यह [illegible] पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी का रकबा चक 74 [illegible] इसलिए प्रार्थी को रकबा में आने जाने के लिए पूर्व से [illegible] रास्ता लिया हुआ है इसलिए अन्य रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। जबकि मुझ अप्रार्थी की जमीन नहरी है, इसके अलावा प्रार्थी के मुरब्बा में ही किला नं0 9–10–11–12–13–14 का रकबा मंजू देवी द्वारा काश्त किया जा रहा

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:05 IST
Reason: SelfAttested

है जिसको प्रार्थी ने अपने रकबे में से करीबन 8 फुट चौडा 4 बीघा लम्बा खाला उक्त रकबे को सिंचित करने के लिए दिया हुआ है इसलिए मेरे रकबे में खाला होने के बावजूद रास्ते की कोई मांग नहीं की जा सकती है। और रास्ता मंजूर करने के बाद मुझ अप्रार्थी के पास रकबा कम हो जाने से मुझे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि अजय कुमार पुत्र महावीर प्रसाद की जमीन 71 एनपी हल्का पटवार में स्थित है जबकि मोडूराम की जमीन 75 एनपी हल्का पटवार के अतंर्गत आती है, अतः विसंगति से बचने के लिए 74 एनपी रकबा क्षेत्र में रास्ता दिया जाना उचित रहेगा। अप्रार्थी अजय कुमार की जमीन नहरी है जबकि अजय कुमार की जमीन के ठीक पीछे बारानी रकबा है एवं मोडूराम की जमीन बिरानी है विदित है कि बिरानी द्वोत्र में केवल साल में एक बार ही फसल ली जाती है जबकि नहरी क्षेत्र में दो बार फसल ली जाती है अतः नहरी क्षेत्र के मध्य रास्ता प्रदान करना काश्तकार की दृष्टि से उचित नहीं रहेगा। अप्रार्थी अजय कुमार ने अपने पास के मुरब्बा सं0 9–10–11–12–13–14 स्थित काश्तकार मंजू देवी नहरी जमीन को पानी प्रदान करने के लिए अपने खेत में 8 फुट चौडा एवं तकरीबन चार बीघा लंबा खाला दिया है जिससे अजय कुमार की लगभग 0.25 बीघा जमीन इस हेतु उपयोग ली गई है अतः परिवादी द्वारा मांगे गए रास्ते के कारण अजय कुमार का लगभग 0.25 बीघा जमीन और इस रास्ते के अंदर चली जाएगी इसके अतिरिक्त सडक के कारण भी जमीन का कुछ हिस्सा कृषि के लिए उपयोग नही हो पाता है अतः ऐसे में रास्ता दिया जाना विधिविरूद्ध होगा, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। रास्ता ठीक नक्के के ऊपर स्थित होगा जिससे खेतों में पानी लगाने में एवं साफ–सफाई में समस्याओं का सामना करना पडेगा। प्रार्थी मोडूराम 74 एनपी पटवार हल्का क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं इसके समीप 32 पी.एस पटवार हल्का क्षेत्र सावंतसर का रकबा शुरू हो जाता है मोडूराम जमीन के समीप 32 पी.एस पटवार हल्का क्षेत्र सावंतसर में एक आम रास्ता है एवं इस रास्ते से मोडूराम की जमीन कुछ ही दूरी पर स्थित है अतः इस जमीन के मालिक से रास्ता लिया जा सकता है। प्रार्थी मोडुराम की ढाणी के आस–पास बहुत से ढाणीयां बनी हुई है जो कि इसी आम रास्ता का उपयोग करते है। अप्रार्थी अजय कुमार रास्ता देता है तो इसके एवज में प्राप्त होने वाली जमीन अजय कुमार के खेत से बहुत दुरी पर स्थित होगा। जिस पर खेती करना मुश्किल होगा एवं अनुपयोगी होगी। आस–पास के 74 एनपी में स्थित है बिरानी इलाकों से रास्ता दिया जा सकता है जो कि मो[illegible] जमीन 74 एनपी के रकबे में स्थित है जिससे सीमांकन संबंधी [illegible] से बचा जा सकता है। अप्रार्थी अजय [illegible] भूमि रेतीली [illegible] जिसे खेती लायक बनाने के लिए अप्रार्थी [illegible] कम्प्यूटर कराहा, जे.सी.बी मशीन ओर भी विभिन्न यंत्रो का उ[illegible]ग किया एवं उसके पश्चात बाडबंदी कराई एवं खाद गिराई । इस सभी कार्यों में लगभग 2–3 लाख रूपये खर्च किए गए। किला नं0 5, 6 व 7 की भूमि में सुधार हुआ। अब इस सुधरी भूमि से रास्ता दिए जाने से अप्रार्थी अजय कुमार को आर्थिक नुकसान का सामना करना पडेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

अतः अप्रार्थी अजय कुमार की खेत की सीमारेखा से बस स्टैण्ड बना हुआ है जो कि करीबन 6 बीघा की लम्बाई के अनुसार विस्तारित है क्योंकि 6 बीघा का लगभग 3 चौथाई हिस्सा रोड के अन्दर आ चुका है। अतः 5 व 6 बीघा में रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं0 1 पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करवाया जाकर मुझ प्रार्थी को हर्जा–खर्चा दिलाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1060 दिनांक 09.07.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 74 एनपी के प0नं0 258/329 मु0नं0 9 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 है0 नहरी भूमि प्रार्थी मोडूराम पुत्र अन्नाराम जाति मेघवाल साकिन 74 एनपी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थीगण के नाम चक 74 एनपी प0 नं0 258/330 मु0नं0 18 के किला नं0 6/1–7–14 ता 17–24/1–25 की 1.734 है0 बारानी भूमि महावीर प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण साकिन 71 एनपी तथा इसी मु0नं0 18 के किला नं0 4–5–6/2 की 0.733 है0 बारानी भूमि विमलादेवी पत्नी सुलतानाराम जाति जाट 71 एनपी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी के नाम चक 71 एनपी के प0नं0 258/331 मु0नं0 11 के किला नं0 18 की 1.936 है0 नहरी भूमि अजय कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति नायक साकिन वार्ड नं0 7 रायसिंहनगर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने अपने रकबे में आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 911 से चक 74 एनपी के प0 नं0 258/330 मु0नं0 18 के किला नं0 5–6–15–16–25 तथा चक 71 एनपी के प0नं0 258/331 मु0नं0 11 के किला नं0 5–6 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ते की मांग की है। मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक समेजा व भोमपुरा चक 74 एनपी के प0नं0 258/330 मु0नं0 18 के किला नं0 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है0 तथा चक 71 एनपी के प0नं0 258/331 मु0नं0 11 के किला नं0 5/0.025, 6/0.013 रास्ता प्रस्तावित है। प्रार्थी को अपने रकबे में आवागमन हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अतः चक 74 एनपी के प0नं0 258/330 मु0नं0 18 के किला नं0 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है0 तथा चक 71 एनपी के प0नं0 258/331 मु0नं0 11 के किला नं0 5/0.025, 6/0.013 में प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोराया। चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया। रास्ते में आने वाली भूमि के ब[illegible] सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान क[illegible] 2–3 के अधिवक्ता ने इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित [illegible] को दोहराते कथन किया कि अगर प्रार्थी को चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 2–3 को कोई एतराज नहीं है अ[illegible] सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस में भी एतराज किया कि प्रार्थी को अन्य रास्ते से आना–जाना हो सकता है प्रार्थी अपनी सुविधा मात्र के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पास अपनी जोत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करने की अनुशंषा भी गई है अप्रार्थी सं. 2–3 भी प्रार्थी को चाहा गया गया रास्ता स्वीकृति हेतु जवाब से सहमति दी है पीठासीन अधिकारी के स्वयं मौका निरीक्षण से साबित है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने लिए अन्य रास्ता भी नहीं है चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर चक 74 एनपी के प0नं0 258/330 मु0नं0 18 के कि0 नं0 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है0 तथा चक 71 एनपी के प0नं0 258/331 मु0नं0 11 के कि0 नं0 5/0.025, 6/0.013 मे **गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से डीएलसी दर की दुगुनी राशि जमा कर अप्रार्थीगण को देवे। गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:05 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान